छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 06/2006

याचिकाकर्ता :

रमा शंकर सिंह, आत्मज श्री लालमन सिंह, आयु लगभग 32 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी ग्राम-बरोढ़ी, पुलिस चौकी-भटगांव, थाना प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

अनावेदक:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दंडाधिकारी, सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

- याचिकाकर्ता की ओर से श्री श्रवण कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता।
- राज्य की ओर से श्री अरुण साव, अतिरिक्त लोक अभियोजक साथ में श्री सुधीर बाजपेई, उप शासकीय अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(दिनांक 31 अगस्त 2006 को पारित)

1. याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह याचिका प्रस्तुत कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 69/91 में पारित निर्णय दिनांक 20/11/2000 की विधिमान्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सूरजपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश की पुष्टि की गई थी।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सूरजपुर ने दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 791/88 में दिनांक 27.02.1991 को दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश पारित किया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 एवं 332 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए, प्रत्येक गणना पर दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया था तथा दोनों दण्ड साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया था। क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अपील को दाण्डिक अपील क्रमांक 69/91 के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई हेतु दिनांक 16.11.2000 नियत की थी। उस दिन, याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) अनुपस्थित था। विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता (अपीलार्थी) को सुने बिना ही प्रकरण को निर्णय हेतु नियत कर दिया और तत्पश्चात दिनांक 20.11.2000 को आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 अपीलीय न्यायालय को अपील का विनिश्चय करने के लिए सशक्त करती है। इसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: -

> "**386.** अपील न्यायालय की शक्तियां- ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्ली डर हाजिर है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात्, अपील न्यायालय उस दशा

में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, अथवा, -"

4. उपरोक्त उपबंध के सुस्पष्ट पठन से यह प्रकट होता है कि जहाँ दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश या दंडादेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो, वहाँ अपीलीय न्यायालय, अपीलार्थी या उसके अभिभाषक, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक को, यदि वह उपस्थित होता है, पर्याप्त आधारों पर सुनने के पश्चात, या तो अपील खारिज कर सकता है या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के तहत परिकल्पित आदेश पारित कर सकता है।

5. शब्द "यदि वह उपस्थित होता है" का अर्थ यह नहीं है कि उसकी अनुपस्थिति अपीलीय न्यायालय को अपीलार्थी या उसके अभिभाषक को सुने बिना गुण-दोष के आधार पर अपील का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाती है। दाण्डिक प्रकरणों में दोषसिद्ध व्यक्ति या उसके अभिभाषक को सुने बिना, यह विधि भी सुस्थापित है कि उनके प्रकरणों का गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. स्वीकार्य रूप से, अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के स्थान पर, उसकी अनुपस्थिति में केवल अभियोजन पक्ष को सुनकर ही तत्काल अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर दिया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय पूर्णतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

386 के उल्लंघन में है और साथ ही विधि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और साम्या के विरुद्ध है।

7. परिणामतः, याचिका स्वीकार की जाती है, अपीलीय न्यायालय अर्थात् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूरजपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूरजपुर (अवर अपीलीय न्यायालय) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विधि के अनुसार दोनों पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात अपील का विनिश्चय करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
वी.के. श्रीवास्तव
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणःहिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।